

बिहार विधान सभा सचिवालय

विज्ञापन संख्या-03/2023

अंतिम परीक्षाफल

बिहार विधान सभा सचिवालय विज्ञापन संख्या-03/2023 के अंतर्गत डाटा इंट्री ऑपरेटर के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए दिनांक 19.08.2025 को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों का दिनांक 14.09.2025 को टंकण जांच का आयोजन किया गया था। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का उनके हिंदी टंकण जांच (कम्प्यूटर आधारित) एवं एम.एस. ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग (कम्प्यूटर आधारित) में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार मेधा के अनुसार आरक्षण कोटिवार निम्न प्रकार से अंतिम रूप से सफल घोषित किया जाता है:-

कोटि-अनारक्षित

80100239, 80100367, 80100027, 80100794, 81112662, 80100402, 80203030, 81917274,
80406710, 80406451, 80102055, 82319774, 80100941, 82017581, 80406064

कोटि-आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

80304295, 80100100, 81212918

कोटि-अनुसूचित जाति

80203221, 80101914, 80101178

कोटि-अनुसूचित जनजाति

80102152

कोटि-अत्यन्त पिछड़ा वर्ग

80406515, 80102492, 80304370, 80100309, 82320194, 81615228

कोटि-पिछड़ा वर्ग

81112330, 80304835, 80100429, 80405882, 80405945

नोट:-

- (i) लिपिकीय/टंकण भूलवश हुई किसी त्रुटि के कारण परीक्षाफल में संशोधन हो सकता है।
- (ii) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कोटि अन्तर्गत 03 अभ्यर्थी ही अर्हता पूरा कर सके, जिस कारण इस कोटि में 01 पद रिक्त रह गया है। अनुसूचित जाति कोटि के अन्तर्गत 03 अभ्यर्थी ही अर्हता पूरा कर सके, जिस कारण इस कोटि में 04 पद रिक्त रह गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के अन्तर्गत कुल 06 अभ्यर्थी ही अर्हता को पूरा कर सके, जिस कारण इस कोटि में 01 पद रिक्त रह गया है। पिछड़े वर्ग की महिला कोटि के अंतर्गत किसी भी अभ्यर्थी ने अर्हता पूरा नहीं किया है, जिस कारण यह पद रिक्त रह गया है।
- (iii) बिहार राज्य के भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानियों के नाती/नतिनी/पोता/पोती के लिए 2% क्षैतिज आरक्षण के तहत एक पद तथा दिव्यांगता से ग्रस्त उम्मीदवारों के लिए दो पद अनुमान्य है, किन्तु इन दोनों कोटियों में कोई भी अभ्यर्थी अर्हता पूरा नहीं सके हैं, जिस कारण इस कोटि में अंतिम रूप से किसी भी अभ्यर्थी का चयन नहीं हुआ है।

- (iv) ऑनलाइन आवेदन भरते समय अभ्यर्थियों द्वारा आरक्षण कोटि, लिंग, जन्म तिथि इत्यादि की अंकित की गई प्रविष्टियों के आधार पर ही परीक्षाफल तैयार किया गया है। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि के लिए उम्मीदवार स्वयं जिम्मेवार होंगे।
- (v) आरक्षण कोटिवार अंतिम परीक्षाफल का कट ऑफ अंक इस प्रकार से है:-

क्रम सं.	कोटि	अंक
1.	अनारक्षित	72.00
2.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	71.00
3.	अनुसूचित जाति	69.50
4.	अनुसूचित जनजाति	63.50
5.	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	67.00
6.	पिछड़ा वर्ग	68.50

उक्त सफल अभ्यर्थियों के शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों का सत्यापन दिनांक 23.09.2025 को 11:30 बजे पूर्वा० में बिहार विधान सभा के मुख्य भवन स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में होगा।

अभ्यर्थी सत्यापन हेतु निम्नलिखित कागजात के साथ उपस्थित होंगे:-

- ऑनलाइन आवेदन की डाउनलोड प्रति।
 - प्रवेश पत्र (Admit Card)
 - दो पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो।
 - मैट्रिक/समकक्ष उत्तीर्णता प्रमाण पत्र (मूल प्रति तथा एक स्व-हस्ताक्षरित छाया प्रति)
 - आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए:-
 - अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के लिए (मूल प्रति तथा एक स्व-हस्ताक्षरित छाया प्रति)
 - जाति प्रमाण पत्र (अविवाहित/विवाहित महिला अभ्यर्थियों के लिए अपने पिता के स्थायी पता से निर्गत प्रमाण पत्र)
 - स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
 - पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए (मूल प्रति तथा एक स्व-हस्ताक्षरित छाया प्रति)
 - जाति प्रमाण पत्र
 - स्थायी निवास प्रमाण पत्र
 - क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (अविवाहित/विवाहित महिला अभ्यर्थी के लिए अपने पिता के स्थायी पता से निर्गत प्रमाण पत्र)
- ऑनलाइन आवेदन पत्र में जिस आरक्षण कोटि का दावा किया गया है उसी आरक्षण कोटि का जाति प्रमाण पत्र मान्य होंगे।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए (मूल प्रति तथा एक स्व-हस्ताक्षरित छाया प्रति)
 - स्थायी निवास प्रमाण पत्र
 - आय प्रमाण पत्र

(c) परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र {सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-2622, दिनांक-26.02.2019 के अनुसूची-1 (प्रपत्र-1) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र}

(घ) क्षेत्रीय आरक्षण के अन्तर्गत दिव्यांग एवं स्वतंत्रता सेनानी के नाती/नतिनी/पोता/पोती कोटि के अभ्यर्थियों के लिए (सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत संबंधित मूल प्रमाण पत्र तथा एक स्व-हस्ताक्षरित छाया प्रति) (यदि हो)।

6. विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप कोई अन्य प्रमाण-पत्र (यदि हो)।
7. प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु उपस्थित अभ्यर्थियों का बायोमैट्रिक मिलान किया जायेगा।
8. अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जाँच में स्वयं उपस्थित नहीं होने अथवा वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर उनकी उम्मीदवारी समाप्त करने पर सभा सचिवालय निर्णय ले सकता है।

Kayoti SIV
प्रभारी सचिव 21/09/2025
बिहार विधान सभा